





सुभाषचंद्र बोस  
(सुनिदेव यादव)

जाही की गई।

यह आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। नाम धर्मपाल पुत्र बल्लभ दत्त राजस्व रिपोर्ट किया जावे। कला तहसील मुसावर कि आराजियात में बादी का नाम अमर चन्द को कलमजबन किया जाकर सही की विनिर्दिष्ट अर्जपालना हेतु बादा बादी स्वीकार कर लिकी किया जाता है कि बाकें ग्राम सलैमपुर व हुकम इस्तनाई दवासी अन्तगत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 व 188 बादा बादीगण धर्मपाल बंनम राजस्थान सरकार बादा पत्र बावल लिक्वैरेशन

दिनांक:- 19/03/2021 लिकी :-

दादा लिक्वैरेशन व हुकम इस्तनाई दवासी अन्तगत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 व 188 अधिवक्ता :- श्री पर्याप्त अधिकार:- सरकार-प्रतिवादी

प्रतिवादी

1:-राजस्थान सरकार जायद तहसीलदार मुसावर तहसील मुसावर जिला भरतपुर

बंनम

बादी

1. धर्मपाल पुत्र बल्लभ दत्त जाट निवासी सलैमपुर कला तहसील मुसावर जिला भरतपुर

प्रकरण संख्या:- 94/19 सुनिदेव यादव दिनांक:- 13.08.2019

सुभाषचंद्र बोस  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर)  
सुभाषचंद्र बोस  
(आदेश 20 नियम 6-7 जाला दीवानी)  
सुभाषचंद्र बोस लिकी